

8653
5.12.18.

~~2018/11/11~~

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / ग्रुप-2 / 2018 /

जयपुर, दिनांक : 03.12.2018

आदेश

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा अपील संख्या 3030 / 2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 24.10.2018 की पालना में मा. अधिकरण के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन डा. अशोक आदित्य, कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन) को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान आर.सी.एच.ओ, उदयपुर के पद पर कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान करते हुए यहां पदस्थापित डॉ. ताराचन्द्र गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के अधीन लीव रिजर्व के पद पर) पर एतद्वारा पदस्थापित / कार्यग्रहण कराने की अनुमति प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा अपील संख्या 3030 / 2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 24.10.2018 को शीघ्र वैकैट कराये जाने की कार्यवाही करावें।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन उदयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।
5. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सैटेलाईट अस्पताल, हिरणमगरी, उदयपुर।
6. संबंधित अधिकारी
7. कम्प्यूटर सेल
8. निजी / रक्षित पत्रावली

(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चि.अ./ए-388/2019/ 100 दिनांक : 18/01/2019
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा अपील संख्या 3030/2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 24.10.2018 को शीघ्र वैकैट कराये जाने की कार्यवाही करें।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-उदयपुर।
3. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, एटीसी (राजपत्रित) अनुभाग, मुख्यालय।
4. डॉ. अशोक आदित्य, कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन), जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर।
5. डॉ. ताराचन्द्र गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर के अधीन लीव रिजर्व के पद पर।
6. संबंधित लिपिक एस से जेड सीट, संस्थापन राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करें।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।